राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )अनु./कोचिंग/सान्याअवि/2021/ 34321 जयपुर, दिनांकः 16.6.2022

आदेश

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में इच्छुक प्रतिष्ठित पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं के प्रस्ताव एवं कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार तिथियाँ निर्धारित की जाती है।

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित दिनांक
1	मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत इच्छुक कोचिंग संस्थाओं के नवीन/नवीनीकरण/ अतिरिक्त परीक्षाओं के प्रस्ताव ऑन लाईन किये जाने की तिथि	15 जून 2022 से
2	कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु तिथि	01 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक

1. आय सीमा :- अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) रूपये 8.00 लाख (रूपये आठ लाख रूपये) से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। अभ्यर्थी के माता-पिता/ अभिभावक राजकीय/ बोर्ड/ निगम/निजी सेवा में सेवारत /कार्यरत वेतनभोगी है तो विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष/ नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।
2. अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेजः- मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाऐं तैयार रखना आवश्यक होगा सभी दस्तावेज जनाधार/राज ई वोल्ट/डीजी लॉकर से ऑनलाईन ही लिये जाएंगे **जैसे- आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं एवं**

Scanned with CamScanner

12वीं अंकतालिकाऐं आदि। वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर **मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।**

3. अभ्यर्थियों हेतु आधारभूत सूचना एवं आय विवरण में परिवर्तनः- नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकार्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
4. प्रस्ताव/आवेदन की प्रक्रिया :- कोचिंग संस्थाओं द्वारा अपने प्रस्ताव एवं अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन sso portal (https://sso.rajasthan.gov.in) द्वारा SJMS SMS APP. पर ऑनलाईन किये जा सकते है।

योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय वैबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 13 ( )अनु./कोचिग/सान्याअवि/2021/35322-45 जयपुर, दिनांकः 16.6.2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. आयुक्त, विशेष योग्यजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
4. सयुंक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाया जाना एवं उपरोक्तानुसार पोर्टल खुलवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि .... (समस्त)।

(लोकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

Scanned with CamScanner